समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

चतुर्दश बिहार विधान सभा का दशम् सत्र दिनांक ०२ दिसम्बर,२००८ से प्रारम्भ होकर आज दिनांक ०८ दिसम्बर,२००८ को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल पॉच बैठकें हुई।

सत्र के प्रथम दिन बिहार विधान सभा में उद्भूत एवं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत पॉच विधेयकों का विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया। माननीय वित्त मंत्री,श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा "बिहार मूल्य वर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश,२००८" तथा "बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश,२००८" की प्रमाणीकृत प्रति सदन के पटल पर रखी गई। सोलह दिवंगत जननायकों सहित महाराष्ट्र में आतंकवादी हमले,महाराष्ट्र में बिहारी छात्रों की हत्या तथा कोशी के प्रलयंकारी बाढ़ में मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री,श्री नीतीश कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष २००८-०९ के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन में उपस्थापित किया गया जिसपर सामान्य वाद-विवाद एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

राजकीय विधेयकों में यथा- (१) बिहार मूल्य वर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक,२००८, (२) बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक,२००८, (३) बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक,२००८, (४) न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) विधेयक,२००८ एवं (५) बिहार सरकारी परिसर (आवंटन,किराया,वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक,२००८ सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

माननीय मंत्री,संसदीय कार्य विभाग द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-२००६ की धारा-11 के आलोक में वित्तीय वर्ष २००८-०९ के बजट प्राक्कलन से संबंधित प्राप्ति एवं व्ययों के रुझान के प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के परिणाम की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी।

माननीय मंत्री,उद्योग विभाग द्वारा बिहार राज्य वित्तीय निगम का वर्ष २००४-०५ एवं २००५-०६ के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गई।

क्रमशः

(क्रमश :) माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा "बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम,2005" की धारा-99 के तहत अधिसूचना संख्या- एस0ओ0-180, दिनांक 10.09.2008, एस0 ओ0 192 दिनांक 25.09.2008 एवं एस0 ओ0 194 दिनांक 01.10.2008 तथा "बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग,व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम,1993" की धारा 9 (4) के तहत अधिसूचना संख्या - एस0ओ0-95 दिनांक 31.07.2008 सदन के पटल पर रखा गया ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली,2008" एवं "बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार (मुख्य चुनाव पदाधिकारी की सेवा शर्त्तें) नियमावली,2008" सदन पटल पर रखी गयी ।

प्रभारी मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा "बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली,2008", "बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली,2008", "बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली,2008" एवं "बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली,2008" की प्रति सदन पटल पर रखी गई ।

प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा "बिहार पंचायत राज अधिनियम,2006" की धारा 146 (2) के तहत "बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली,2008" की प्रति सदन पटल पर रखी गई ।

इस सत्र में बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों का प्रतिवेदन सदन पटल पर रखी गयी ।

सत्र के दौरान कुल 48 गैर सरकारी संकल्प का प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसमें सदन के लिये 45 स्वीकृत हुआ एवं 03 अमान्य हुआ ।

सत्र के दौरान कुल 603 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई जिसमें से 459 प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 21 अल्प-सूचित प्रश्न, 277 तारांकित प्रश्न तथा 161 अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से 71 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 45 प्रश्नोत्तर सदन पटल पर रखे गये तथा 73 अपृष्ठ एवं 270 अनागत हुए ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से उठाये गये लोक महत्व के कतिपय विषयों पर सरकार द्वारा सदन में वक्तव्य दिये गये ।

इस सत्र में कुंल 66 निवेदन प्राप्त हुए उनमें से 31 स्वीकृत हुए एवं 35 अमान्य हुए । कुल 32 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 24 स्वीकृत एवं 08 अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल 72 ध्यानाकर्षण-सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 55 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु विभागों को भेजे गये एवं 09 अमान्य हुआ ।

सत्र के संचालन में भरपुर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं । पत्र-प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जन-मानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का कार्य किया, उन्हें साधुवाद देता हूं ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

आज इस सत्र का अवसान ही नहीं हो रहा है, बल्कि वर्ष 2008 का भी अवसान होने वाला है । बकरीद एवं क्रिसमस की शुभकामनाओं के साथ नव वर्ष के शुभागमन में मैं प्रदेश की जनता एवं आप सबों के उज्जवल भविष्य तथा सुखद जीवन की मंगल कामना करता हूं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

*****